साइपरमेथ्रिन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

हाल ही में **चीन** ने अपने घरेलू उद्योग को हुए अत्यधिक नुकसान का हवाला देते हुए भारत से**साइपरमेथ्रिन कीटनाशी** के आयात पर **प्रतिपाटन-रोधी अथवा एंटी-डंपिंग शुल्क** लगा दिया है।

साइपरमेथ्रिन:

- यह एक **सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड कीटनाशी** है जिसका उपयोग प्रायः कृषि और घरेलू कीट नियंत्रण के लिये किया जाता है।
  - **पाइरेथ्रोइड्स, *Chrysanthemum cinerariaefolium*** पुष्पों में पाए जाने वाले **पाइरेथ्रिन्स** (एक प्राकृतिक यौगिक) से प्राप्त होते हैं।
- **यह चींटियों, कॉकरोच** और **कृषि कीटों** सहित कई प्रकार के कीटों का नाश करता है।
- यह एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कीटों पर तेज़ी से कार्य करता है तथा उनके **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र** को प्रभावित करके उन्हें मार देता है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी:

- एंटी-डंपिंग ड्यूटी **उन आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर** है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका निर्यातक देश में**उनके उचित बाज़ार मूल्य से कम कीमत पर विक्रय जा रहा है।**
  - भारत में, इसे **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अंतर्गत कार्यरत **व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की अनुशंसाओं** के आधार पर **वित्त मंत्रालय** द्वारा लगाया जाता है।
- इसकी गणना उत्पाद के **सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच के अंतर** के रूप में की जाती है।
  - डंपिंग तब होती है जब कोई **देश अपने घरेलू बाज़ार की तुलना में कम कीमत पर माल का निर्यात करता है, जो** विश्व व्यापार संगठन के अनुसार **अनुचित व्यापार व्यवहार** है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।

//

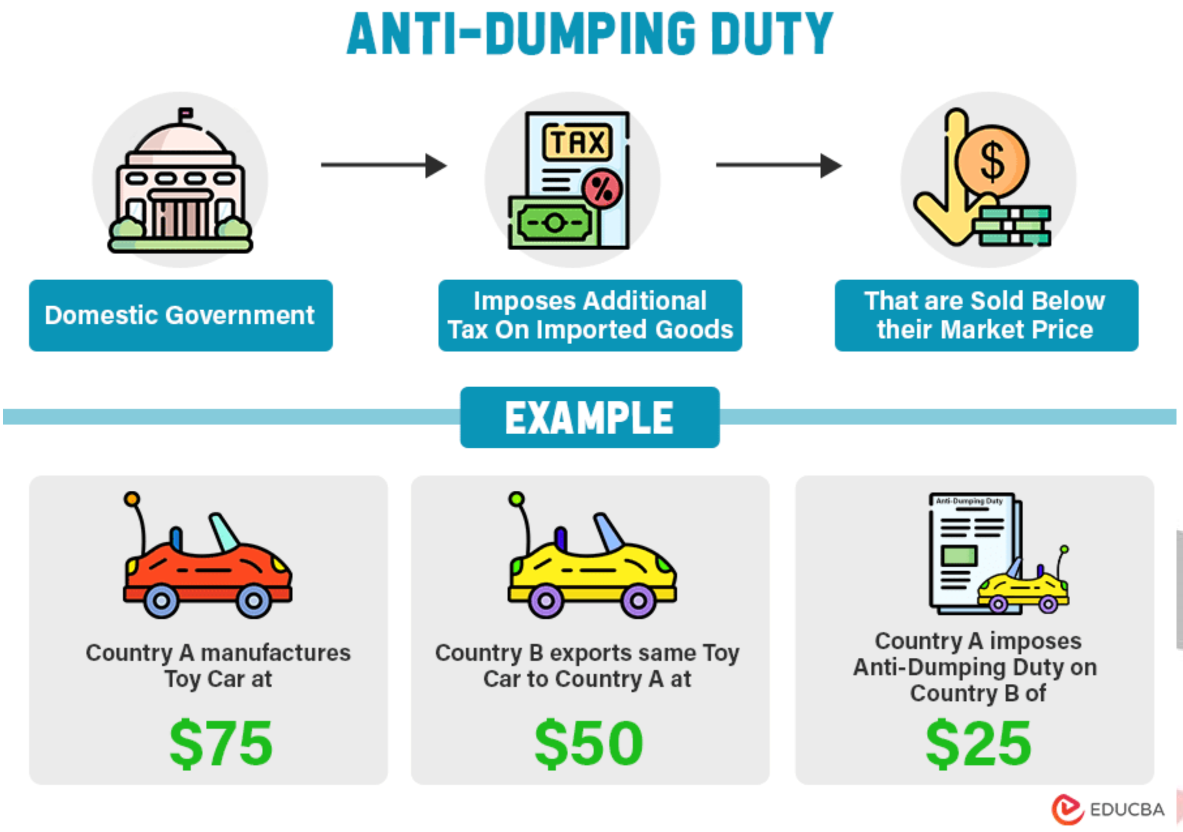

और पढ़ें: [एंटी-डंपिंग ड्यूटी](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/anti-dumping-duty-on-cypermethrin